न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/12 दायरा दिनांक : 20.01.2025

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
.... अपीलांट

बनाम

संतोष कुमार आत्मज गंगाराम, जाति धोबी, निवासी गंगधार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – पैरोकार सरकार
श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.08.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 51/2024 निर्णय दिनांक 22.07.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मल्हारगंज, पटवार हल्का भाटखेडी, तहसील गंगधार की कृषि भूमि खसरा नं. 888/118 रकबा 0.2276 हेक्टर खातेदार कृषक है। इस भूमि में आने जाने उक्त जोत में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 22.07.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रतिवादी द्वारा ग्राम मल्हारगंज की आराजी खसरा नं. 888/118 रकबा 0.2276 हेक्टर पर जाने हेतु ग्राम मल्हारगंज के खसरा नं. 119 रकबा 0.5817 हेक्टर किस्म बजड से 30 फीट चौडा व 82 फीट लम्बाई का रास्ता बनाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा बिन्दु सं. 1 में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के जोत में पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन मार्ग का सर्वथा अभाव है जबकि पटवारी हल्का भाटखेडी एवं तहसीलदार गंगधार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी पर जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है जिसका

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रयोग प्रार्थी वर्तमान में कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थी को जोत पर जाने के लिए रास्ते की आत्यधिक आवश्यकता प्रमाणित होनी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार गंगधार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सही से अवलोकन नहीं किया गया है रिपोर्ट अनुसार मौके रास्ता प्रचलने में रास्ता का प्रयोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिवायचक भूमि में से रास्ता दिया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत अन्य खातेदार की जोत में से ही नया अथवा विद्यमान मार्ग का विस्तार किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। उक्त प्रकरण में राजकीय हित प्रभावित होने से अपील किया जाना अतिआवश्यक है। इस संबंध में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, झालावाड के पत्रांक/वि.एल.आर./जांच/GLMAC/24/8021 दिनांक 29.11.2024 से GLMAC कमेटी की बैठक दिनांक 29.11.2024 से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील किये जाने का निर्णय लिया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। अतः प्रकरण में राजकीय हित निहित होने से अपील अतिआवश्यक है। राजकीय हित को ध्यान में रखकर माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार का निर्णय दिनांक 22.07.2024 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जिला झालावाड व GLAMC कमेटी द्वारा अपील स्वीकृति एवं मामले की नकल प्राप्त करने में लगे समय के कारण अपील विलम्ब से पेश की गई। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में रास्ते की नितान्त आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी द्वारा सिवाय चक भूमि से रास्ता मांगा गया है जो सैकेण्डरी प्रावधान है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा जिस आधार पर बहस की है वह अपील मेमो के बिन्दु नहीं है अतः बहस कानूनी स्वीकार नहीं है। खसरा नं. 119 की लगवा भूमि सिवायचक है। तहसील की रिपोर्ट के आधार पर दुगनी राशि पर नियमानुसार रास्ता दिया गया है। तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति पेश नहीं की है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में कोई उचित कारण अंकित नहीं किया गया है। परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के अनुसार हमें बंजड भूमि में से रास्ता दिया गया है

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जो कानूनन सही है। अतः अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम मल्हारगंज, तहसील गंगधार, जिला झालावाड की खाता सं. 317 खसरा नं. 888/118 रकबा 0.2276 हेक्टर आराजी संतोष कुमार पुत्र गंगाराम के खाते दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी रेस्पोडेंट ने अपने खाते की उक्त कृषि भूमि पर पहुंच एवं कृषि यंत्र ले जाने के लिए ग्राम मल्हारगंज की भूमि खसरा नं. 119 रकबा 0.5817 हेक्टर बंजड खाता सरकार में से होकर 30 फीट चौडा व 82 फीट लम्बा पहुंच मार्ग चाहने हेतु अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह अंकित किया है कि पहुंच मार्ग की आवश्यकता है एवं प्रार्थी की जोत में पहुंचने के वैकल्पिक साधन मार्ग का सर्वथा अभाव है।

प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार गंगधार द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 28.06.2024 एवं पटवारी तथा आई.एल.आर. द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा एवं खसरा नक्शा दिनांक 20.04.2024 से होती है। तहसीलदार गंगधार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेंट की आराजी पर पहुंचने के लिए रिकार्डेड मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका रिपोर्ट मे सलंग्न नजरी नक्शे एवं खसरा नक्शा दिनांक 20.04.2024 के अनुसार खसरा नं. 120 गैर मुमकिन रास्ता एवं प्रार्थी रेस्पोडेंट के खाते की आराजी खसरा नं. 888/118 के मध्य खसरा नं. 119 की आराजी स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाता सं. 1 किस्म बंजड दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में खाता सं. 1 की आराजी में से खातेदार को पहुंच मार्ग देने के सन्दर्भ में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 का उल्लेख करते हुए यह अंकित किया है कि "खातेदार राजकीय भूमि में से ही होकर अपने जोत तक पहुंच सकता है। खातेदार द्वारा अपने जोत तक आने जाने के लिए रास्ता चाहा जा रहा है। उक्त समस्या के समाधान के लिये यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौडा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।" इसी प्रकार राजस्व (ग्रुप–9) विभाग जयपुर का परिपत्र कमांक प.2 (63) राज–9/14 दिनांक 29.09.2014 में भी खातेदार द्वारा राजकीय (चारागाह) भूमि में से होकर अपनी जोत तक पहुंच हेतु संपरिवर्तन हेतु रास्ता चाहे जाने पर रास्ता दिये जाने का प्रावधान किया है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर का परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6/03/पार्ट/4 दिनांक 24.12.2014 में भी राजकीय भूमि पर काश्तकार की पहुंच हेतु नवीन रास्ते दिये जाने, विद्यमान रास्ते को चौड़ा किया जाने एवं सिंचाई हेतु पाईप निकालने हेतु प्रावधान किये जाकर 90 दिवस के भीतर ऐसे आवेदनों का निस्तारण किये जाने का निर्देश दिया गया है।

दौराने बहस प्रार्थी रेस्पोडेंट के अभिभाषक ने उक्त परिपत्रों का अवलोकन करवाया। राज. सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्रों के खण्डन में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे उक्त परिपत्रों का खण्डन हो सके। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न खसरा नक्शा दिनांक 20.04.2024 प्रदर्श पी–3 मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 13.05.2024 के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेंट के खाते की आराजी खसरा नं. 888/118 रकबा 0.2276 हेक्टर तक पहुंचने हेतु रास्ता खसरा नं. 119 की आराजी से होकर जाता है एवं परिपत्र दिनांक 14.06.2013 एवं दिनांक 24.12.2014 के अनुसार राजकीय भूमि में से रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है, अतः अपील के इस स्तर पर हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा